राजस्थान संस्थाएं रजिस्टीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्टेशन कराने हेतु आदर्श विधान नियमावली

आवेदन प्रपत्र

स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति, दॉता– सीकर

संघ विधान पत्र

1 संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति, दॉता– सीकर, रहेगा।
2 पंजीकृत कार्यालय– इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय दॉता – जिला सीकर है। तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।
3 संस्था के उदेश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है:–

1 सुचरित्र कर्तव्यनिष्ट बालकों का निर्माण करना ।
2 सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना ।
3 ऐसे बच्चों का निर्माण करना जो अच्छे नागरिक बन सके ।
4 सुराष्ट ससंधण्ति राष्ट का निर्माण करना ।
5 ऐसे नव युवक तैयार करना जो राष्ट के काम आ सके जिससे हमारा देश सुरक्षित बन सके ।
6 नव– युवकों में ऐसे संस्कार उत्पन्न करना जो इस देश के सुयोग्य नागरिक बन सके ।
7 बच्चों ऐसे संस्कार उत्पन्न करना जो मानवता और एकेश्वरवाद में विश्वास करें।
8 बालिका शिक्षा को बढावा देना ।
9 महिला सशक्तिकरण में भगीदारी निभाना ।
10 असहाय, विकलांग, तिरस्कृतों का सहारा बन सकें ।
11 बच्चों में ऐसे संस्कार जागृत करना जो मानव से उपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें।
12 ऐसे सुयोग्य नागरिक तैयार करना जिससे सुराष्ट निर्माण में भागीदारी निभा सके ।
13 ऐसे बच्चों का निर्माण करना जिसमें राष्टधर्म प्रथम हो ।
14 ऐसे नव युवकों का निर्माण करना जिसमें स्वदेश, स्वचिन्तन, और मानवीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत सोच हो।
15 ऐसे बच्चों का निर्माण करना जो अनुशासित, निडर, स्वावलम्बी, ऐकेश्वरवादी और राष्टवादी हो ।

उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है।, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है।

क सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	हेमाराम जाट / नारायण लाल	अध्यापन, कृषि	स्वामी की ढाणी सुलियावास	सचिव
2	रामेश्वर लाल / डालूराम	अध्यापन	बानूड़ा	अध्यक्ष
3	रिछपाल / जीवणराम	अध्यापन	बानूड़ा	उपाध्यक्ष
4	नेमीचन्द / सुरजाराम	अध्यापन	बानूडा	कोषाध्यक्ष
5	प्रेम रतन / किशन लाल	अध्यापन	नई मण्डी खाजूवाला बीकानेर	सदस्य
6	झाबर मल अखेड़ / रामपाल	अध्यापन	गोगावास सीकर	—"—
	पवन कुमार / [illegible] लाल	अध्यापन	मु. पो रूपगढ़	—"—
8	विकास / मदन लाल	कृषि	बानूड़ा	—"—
9	[illegible] सिंह / [illegible] सिंह	अध्यापन	गउ शाला रोड़ से दक्षिण वार्ड नं 14 जिला गंगानगर	—"—
10	[illegible] देवी / रामपाल	कृषि	गोगावास	—"—
11	रतन लाल / गिधा राम	कृषि	सुलियावास	—"—
12	राम गोपाल / दला राम	निजी व्यवसाय	चौधरियों का बास भाद्राजून त – आहौर जालोर	—"—
13	भगवती गोयल / कैलाश गोयल	निजी व्यवसाय	जगतपूरा जयपूर	—"—
14	सुशीला / सुभाष चन्द	ग्रहणी कृषि	डोडवाड़ियों की ढाणी सज्जनपुरा	—"—
15	बनवारीलाल अग्रवाल / एस.एस अग्रवाल	व्यापार	इटावा वाया बधाला जयपूर	—"—
16	किशन / काना राम	कृषि	34 स्कूल के पास त नावा नागौर	—"—
17	शोभा देवी / विकास	कृषि	पूर्वी की ढाणी, बानूड़ा	—"—
18	सोनिया शर्मा / मदन लाल	अध्यापन	मोहनोती की गली वा सं 28 जोधपुर	—"—

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

4

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्टीकृत कनवाने के इच्छुक है।

क सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	हेमाराम जाट / नारायण लाल	अध्यापन, कृषि	स्वामी की ढाणी सुलियावास	हेमाराम
2	रामेश्वर लाल / डालूराम	अध्यापन	बानूड़ा	
3	रिछपाल / जीवणराम	अध्यापन	बानूड़ा	
4	नेमीचन्द / सुरजाराम	अध्यापन	बानूडा	
5	सुभाष चन्द / तुलछा राम	अध्यापन	डोडवाड़ियों की ढाणी, सज्जनपुरा	
6	सुशीला / सुभाष चन्द	ग्रहणी कृषि	डोडवाड़ियों की ढाणी,सज्जनपुरा	
7	बनवारीलाल/ एम-एल अग्रवाल	अध्यापन	इटावा बायावलवाला जयपुर	सुशीला
8	झाबर मल जाखड़ / रामपाल कृषि	अध्यापन	गोगावास सीकर	
9	रामपाल / हणमाना राम	कृषि	गोगावास	रामपाल
10	पारा देवी / रामपाल	कृषि	गोगावास	पारा देवी
11	रतन लाल / गिधा राम	कृषि	सुलियावास	रतन
12	सागर मल गिधा राम	कृषि	सुलियावास	सागर
13	सुरेश कुमार / गोपाल	कृषि	स्वामी की ढाणी	सुरेशकुमार
14	विकास / मदन लाल	कृषि	बानूड़ा	विकास
15	परमेश्वरी देवी / मदन लाल	कृषि	बानूड़ा	परमेश्वरी देवी
16	निरोज देवी / गजानन्द	कृषि	सुलियावास	निरोज देवी
17	शोभा देवी / विकास	कृषि		शोभा देवी
18	प्रेम रतन/ किशन लाल	अध्यापन	नई मण्डी ख्वाजा बीकानेर	
19	मनी राम स्वामी	अध्यापन	डांसरोली	मनी राम
20	विकास सिंह/रतिपाल सिंह	अध्यापन	कार्ड-14 गंगानगर	
21	श्री किशन कुमार	व्यापार	दाँता	श्रीकिशन
22	शंकर सिंह	अध्यापन	मुण्डियावास	शंकरसिंह
23	मंगल चौधरी	मजदूरी	दाँता	मंगलचन्द
24	औंकार मल	अध्यापन	खीचडों की ढाणी	
25	बाबू लाल माली	कृषि	दाँता	बाबूलाल
26	प्रहलाद माली	कृषि	दाँता	प्रहलाद राम
27	रामगोपाल/दूल्हाराम	निजी व्यवसाय	आदर्श नगर आहोर	रामगोपाल
28	ओमेन्द्र सिंह	अध्यापन	भारिजा जालोर	
29	भगवती गोयल/कैलाश गोयल	निजी व्यवसाय	जगतपुरा जयपुर	भगवती
30	खुमान सिंह	अध्यापन	बानूड़ा	खुमान
31	सोमिया शर्मा/मदनलाल	अध्यापन	मोहनोतीकी गली जोधपुर	SOMIYA
32	मदन लाल	अध्यापन	सुलियावास	
33	कमला देवी	कृषि	बानूड़ा	कमला
34	किसन/कानाराम	कृषि	34- स्कूल के पास नौसा जालौर	किसन

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने - अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

साक्षी

पंजीयन संख्या ....

संस्था का नाम ....

दस्तावेजों की संख्या ....

दिनांक 20/11/09

रजिस्ट्रार संस्थाएँ ....

1 हस्ताक्षर

(नाम व्यवसाय पूर्ण पता)

साक्षी

2 हस्ताक्षर

सुभाष चन्द वर्मा

(नाम व्यवसाय पूर्ण पता)

नोट :- शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

प्रधानाचार्य
राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय
दांता (सीकर)

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति, दॉता– सीकर

विधान नियमावली

1 संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति, दॉता– सीकर, रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] **दॉता** – जिला सीकर है। तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान तक सीमित होगा।

3 संस्था के उदेश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है:–

1 सुचरित्र कर्तव्यनिष्ट बालकों का निर्माण करना ।
2 सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना ।
3 [illegible] बच्चों का निर्माण करना जो अच्छे नागरिक बन सके ।
4 सुराष्ट सुरक्षित राष्ट का निर्माण करना ।
5 ऐसे नव युवक तैयार करना जो राष्ट के काम आ सके जिससे हमारा देश सुरक्षित बन सके ।
6 नव– युवकों में ऐसे संस्कार उत्पन्न करना जो इस देश के सुयोग्य नागरिक बन सकें ।
7 बच्चों ऐसे संस्कार उत्पन्न करना जो मानवता और एकेश्वरवाद में विश्वास करें।
8 बालिका शिक्षा को बढावा देना ।
9 महिला सशक्तिकरण में भगीदारी निभाना ।
10 असहाय, विकलांग, तिरस्कृतों का सहारा बन सकें ।
11 बच्चों में ऐसे संस्कार जागृत करना जो मानव से उपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें।
12 ऐसे सुयोग्य नागरिक तैयार करना जिससे सुराष्ट निर्माण में भागीदारी निभा सके ।
13 ऐसे बच्चों का निर्माण करना जिसमें राष्टधर्म प्रथम हो ।
14 ऐसे नव युवकों का निर्माण करना जिसमें स्वदेश, स्वचिन्तन, और मानवीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत सोच हो।
15 ऐसे बच्चों का निर्माण करना जो अनुशासित, निडर, स्वावलम्बी, ऐकेश्वरवादी और राष्टवादी हो ।

उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

4 सदस्यता :— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें :—

1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते है।
2 बालिग हो ।
3 पागल, दीवालिये न हो ।
4 संस्था के उदेश्यों में रूचि व आस्था रखते है।
5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो ।

5 सदस्यों का वर्गीकरण :— संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें ।

1 संरक्षक
2 विशिष्ट
3 सम्मानन्नीय
4 साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6 सदस्यों से प्रदत शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों दारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1 संरक्षक राशि 1100 वार्षिक आजन्म
2 साधारण राशि 1000 वार्षिक आजन्म
3 साधारण राशि 500 वार्षिक
4 सम्मानीय राशि 500 वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू (एक मुश्त वार्षिक) या मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7 सदस्यता से निष्कासन, :— संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:—

1 मृत्यु होने पर
2 त्याग – पत्र देने पर
3 संस्था के उदेश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4 प्रबन्धकारिणी से दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर -- अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8 साधारण सभा :— संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें ।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः— साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगें :—

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
2 वार्षिक बजट पारित करना ।
3 प्रबन्धकारिणी से किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।
4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।
(जो रजिस्टार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

10 साधारण सभा की बैठकें :–

1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष के माध्यम से कभी भी बुलाई जा सकती है।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा

3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मुत्री अध्यक्ष दारा 1 माह के अन्दर – अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा ।
निर्धारित अवधि मैं अध्यक्ष, मंत्री दारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप सें चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें।

1 अध्यक्ष एक, 2 उपाध्यक्ष एक

3 मंत्री – एक 4 कोषाध्यक्ष – एक

5 सदस्य – ग्यारह

(उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 11 सदस्य कुल 15 सदस्य होगें ।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधरण सभा दारा किया जावेगा ।

2 चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली दारा किया जावेगा।

3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी दारा की जावेगी ।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दाँता
सीकर

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगें :–

1 सदस्य बनाना निष्कासित करना ।

2 वार्षिक बजट तैयार करना।

3 संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5 साधारण सभा दारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।

6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों , करना।

14 कार्यकारिणी की बैठकें :–

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष मंत्री दारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3 बैठक की सूचना प्राय 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धरित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा मेंकराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति सीकर

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे।

अधिकार व कर्तव्यः–

1 अध्यक्ष :

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।
2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3 बैठकें आहूत करना।
4 संस्था का प्रनिधित्व करना।
5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्ष :

1 अध्यक्ष की अनुउपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2 प्रबन्धकारिणी दारा प्रदत अन्य अधिकरों का उपयोग करना।

3 मन्त्री :

1 बैठकें आहूत करना।
2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3 आय– व्यय पर नियन्त्रण करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा विलों को पास करना।
5 संस्था का प्रनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना
6 पत्र व्यवहार करना।
7 सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो ।

4 उपमंत्री :

1 मंत्री की अनुउपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी मंत्री दारा सौपे जावें।

5 कोषाध्यक्ष :

1 वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3 चन्दा शुल्क अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4 अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति
सीकर

16 संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार सें संचित होगाः–

1 चन्दा
2 शुल्क
3 अनुदान
4 सहायता
5 राजकीय अनुदान

1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्टीकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2 अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैक में लेन देन संभव होगा।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें:–

1 अध्यक्ष 1000 रू
2 मन्त्री 1000 रू
3 कोषाध्यक्ष 1000 रू

उपरोक्त राशि की अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी दारा की जायेगी।

18 संस्था का अकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखां जोखो का वार्षिक अकेक्षण आवश्यक होगा। अकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी दारा की जोयगी।

19 संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन , परिवर्धन, अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्टीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 अनुरूप होगा।

20 संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अवल समति समान उदेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्टीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्टार संस्थाऐ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21 संस्था के लेख जोखें का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं सीकर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके दारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति की सही व सच्ची प्रति हैं।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

166/सीकर/2008-09

पंजीयन संख्या ....
संस्था का नाम .... स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दांता
दस्तावेजो की संख्या ....
दिनांक 20/11/09
रजिस्ट्रार संस्थाएँ ....

रजिस्ट्रार संस्थाएँ, सीकर

सचिव
स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति दांता
सीकर